दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

वै.अ. सं. 3/2008

निर्णय सुरक्षित किया गया: 4 अगस्त, 2008

निर्णय दिया गया: 14 अगस्त, 2008

श्री विजय शाह
पुत्र श्री विक्रम शाह
निवासी एफ़-79/5ए, सैनिक फ़ार्म
नई दिल्ली ..... अपीलार्थी

द्वारा: सुश्री मालविका राजकोटिया सह सुश्री ज्योति शर्मा, अधिवक्तागण।

बनाम

श्रीमती पद्मिनी शाह
पत्नी श्री विजय शाह,
निवासी 66, एलर्टन रोड,
पारसिप्पनी,
न्यू जर्सी-07054
यू.एस.ए.

यह भीः

सुश्री किरण/हरदीप अडवाणी
मुख्तारनामा धारक
सुश्री पद्मिनी शाह के लिए

निवासी बी-26, प्रथम तल,
चाणक्य पुरी,
नई दिल्ली-110021 ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री अमन हिंगोरानी, अधिवक्ता।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.बी. गुप्ता

1. क्या स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ

2. रिपोर्टर को संदर्भित किया जाना है या नहीं? हाँ

3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हाँ

<u>न्या. वी.बी. गुप्ता</u>

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 28 के अंतर्गत वर्तमान अपील अपीलार्थी/पति द्वारा गुरदीप सैनी, अतिरिक्त ज़िला न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 03.12.07 के निर्णय/आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें आक्षेपित आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की गई है।

2. वर्तमान अपील में विचारार्थ यह प्रश्न उठता है कि क्या बाद की विवाह-विच्छेद याचिका, जब विवाह-विच्छेद के लिए पहले की याचिका अपने आप से खारिज कर दी गई हो, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में "संहिता") के आदेश IX नियम 9 के अंतर्गत वर्जित है?

3. अपीलार्थी ने क्रूरता के आधार पर 25.07.94 को जयपुर में कुटुंब न्यायालय में विवाह-विच्छेद की याचिका दायर की थी। उक्त याचिका को 21.07.95 को प्रत्यर्थी की उपस्थिति में खारिज कर दिया गया।

4. अपीलार्थी ने आरोप लगाया है कि प्रत्यर्थी ने सुलह का वादा किया था, लेकिन उसके बाद उसे बहाल करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया। हालाँकि, बाद में उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अपीलार्थी ने क्रूरता के अतिरिक्त परित्याग के अतिरिक्त आधार पर 22.01.96 को दिल्ली में विवाह-विच्छेद के लिए एक नई याचिका दायर की।

5. मामला साक्ष्य के लिए तय किया गया था और प्रतिपरीक्षा के दौरान संहिता के आदेश IX नियम 9 के अंतर्गत याचिका पर रोक के संबंध में अतिरिक्त मुद्दे विरचित करने के लिए एक आवेदन पेश किया गया था और उसके बाद दिनांक 06.03.07 के आदेश के अंतर्गत, अतिरिक्त मुद्दा विचारण न्यायालय द्वारा विरचित किया गया था जो निम्नानुसार है;

"(iii)क, क्या वर्तमान याचिका जयपुर के कुटुंब न्यायालय में पिछली याचिका खारिज होने के कारण संहिता के आदेश IX नियम 9 के अंतर्गत वर्जित है?" साबित करने का दायित्व प्रत्यर्थी पर है

6. प्रतिवादी ने पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की और इस न्यायालय ने दिनांक 11.10.07 के आदेश द्वारा निर्देश दिया कि इस मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्णीत किया जाए।

7. विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय के माध्यम से विवाह-विच्छेद याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह याचिका संहिता के आदेश IX नियम 9 के अंतर्गत वर्जित है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद दिया है कि विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि याचिका के पैरा 18 और 19 में अतिरिक्त आधार उठाए गए हैं, जिन्हें साबित करने के लिए विचारण की आवश्यकता है, अभी तक अपने विवेक का उपयोग करने में विफल रहा है और याचिका को अवैध रूप से खारिज कर दिया है, जबकि अपीलार्थी ने अभित्यजन का अतिरिक्त कारण उठाया था, जिसके कारण ही उसे विवाह-विच्छेद की राहत मिल सकती थी। हालाँकि दोनों याचिकाओं में दिए गए कुछ तथ्य एक जैसे हैं, फिर भी अभित्यजन के संबंध में अतिरिक्त कारण अपीलार्थी के पास तब उपलब्ध नहीं था जब विवाह-विच्छेद के लिए पिछली याचिका दायर की गई थी

और इसे पहले दायर नहीं किया जा सकता था और इस कारण ने इस याचिका को पिछली याचिका से महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया था।

9. यह भी प्रतिवाद दिया गया है कि विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि जयपुर के कुटुंब न्यायालय में दायर पिछली याचिका को स्वतः खारिज कर दिया गया था और इसे बहाल नहीं किया जा सका क्योंकि प्रत्यर्थी ने समझौता वार्ता को लंबा खींच दिया और अपीलार्थी का अपनी याचिका बहाल करने का अधिकार समाप्त हो गया और अब वर्तमान मुकदमे के 11 साल बाद और पिछले मुकदमे के 14 साल बाद, वर्तमान याचिका को एक तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया है।

10. आगे यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को विवाह-विच्छेद के मुद्दे को निपटाने के लिए काफ़ी लंबे समय तक बातचीत में उलझाए रखा, जब तक कि उसकी बहाली के लिए उचित आवेदन करने का अधिकार समाप्त नहीं हो गया और यह कार्रवाई क्रूरता का कार्य बन गई।

11. विचारण न्यायालय का यह अभिनिर्धारित करना गलत था कि "समझौता वार्ता" कार्रवाई का एक स्वतंत्र कारण नहीं है और इसने पहले के वाद हेतुकों को नष्ट नहीं किया है, जबकि, सामान्य तौर पर पक्षकारगण के बीच इस तरह की बातचीत से केवल यह पता चलता है कि पक्षकारगण अपने विवादों को

न्यायालयों के माध्यम के बजाय आपस में सुलझाने के इच्छुक हैं, जिसके लिए पिछले अभिवचन प्रासंगिक नहीं हैं और यह एक स्वतंत्र वाद हेतुक है।

12. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद दिया कि 22.2.96 को इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई वर्तमान याचिका अपने शीर्षक में अधिनियम की धारा 13(1)(i-क) और (i-ख) के अंतर्गत याचिका के रूप में दिखाई देती है और पैरा सं. 1 से 15 वही हैं, जो जयपुर में कुटुंब न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में हैं। पैरा सं. 16 और 17 विवाह-विच्छेद याचिका दायर करने और इसे खारिज करने के बारे में तथ्य हैं। पैरा सं. 18 और 19 केवल अतिरिक्त पैरा हैं और अंत में, प्रार्थना खंड दर्शाता है कि वर्तमान याचिका विवाह-विच्छेद और निरंतर अभित्यजन की डिक्री के लिए है और ये याचिका में दिए गए एकमात्र अतिरिक्त तथ्य हैं।

13. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रतिविरोधों के समर्थन में ***सूरज रतन थिरानी और अन्य बनाम द आज़मबाद टी कंपनी और अन्य, (1964) 6 एस.सी.आर. 192; मंजीत कौर बनाम गुरदयाल सिंह, ए.आई.आर. 1978 पीएंडएच 150; सी.सरला बनाम के. नलिनाक्शन, ए.आई.आर. 1991 केरल 362; गुरचरण सिंह बनाम मुख्तियार कायर, I (2002) डी.एम.सी. 747; श्री भगवान एवं अन्य बनाम सूरज भान एवं अन्य, 2006 VIII ए.डी. (दिल्ली) 380*** पर भरोसा किया है।

14. संहिता के आदेश IX नियम 8 और 9 निम्नानुसार हैं;

> "8. **जहाँ केवल प्रतिवादी उपसंजात होता है वहां प्रक्रिया---**
>
> जहाँ वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है और वादी उपसंजात नहीं होता है वहाँ न्यायालय यह आदेश करेगा कि वाद को खारिज किया जाए। किंतु यदि प्रतिवादी दावे या उसके भाग को स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय ऐसी स्वीकृति पर प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री पारित करेगा और जहाँ दावे का केवल भाग ही स्वीकार किया गया हो वहाँ वह वाद को वहाँ तक खारिज करेगा जहाँ तक उसका संबंध अवशिष्ट दावे से है।
>
> **9. व्यतिक्रम के कारण वादी के विरुद्ध पारित डिक्री नए वाद का वर्जन करती है ---**
>
> (1) जहाँ वाद नियम 8 के अधीन पूर्णतः या भागतः खारिज कर दिया जाता है वहाँ वादी उसी वाद हेतुक के लिए नया वाद लाने से प्रवारित हो जाएगा। किंतु वह खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि जब बाद की सुनवाई के लिए पुकार पड़ी थी उस समय उसकी अनुपंजाति के लिए पर्याप्त हेतुक था तो न्यायालय खर्चों या अन्य बातों के बारे में ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे, खारिजी को अपास्त करने का आदेश करेगा और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा।
>
> (2) इस नियम के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदन की सूचना की तामील विरोधी पक्षकार पर न कर दी गई हो।"

15. इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अधिनियम की धारा 21 भी प्रासंगिक है। उक्त धारा निम्नानुसार है;

> "21. **1908 के अधिनियम 5 का अनुप्रयोग --**
> इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट अन्य उपबंधों तथा उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियाँ, जहाँ तक संभव हो, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा विनियमित होंगी।"

16. प्रत्यर्थी द्वारा उद्धृत ***सी. सरला (पूर्वोक्त) और गुरचरण सिंह (पूर्वोक्त)*** में, यह राय व्यक्त की गई है कि संहिता के आदेश IX नियम 9 के उपबंध अधिनियम के अंतर्गत बाद की कार्यवाहियों पर लागू होते हैं।

17. इसी प्रकार का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा ***श्रीमती मालती बनाम रमेश कुमार, 2006 VI एडी (दिल्ली) 1*** में भी अपनाया गया है।

18. इस प्रकार, अधिनियम की धारा 21 संहिता के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया को, जिसमें इसकी धाराएँ और आदेश भी शामिल हैं, अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियों पर लागू करती है, जब तक कि उक्त अधिनियम या बनाए गए नियमों में इसके विपरीत कोई उपबंध न हो।

19. प्रत्यर्थी द्वारा उद्धृत ***मंजीत कौर (पूर्वोक्त)*** में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ***मोहम्मद खलील खान बनाम महबूब अली मियां,***

ए.आई.आर. 1949 पी.सी. 78 में प्रिवी काउंसिल के निर्णय का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की है;

> "संहिता के आदेश 2 नियम 2 में "वही वाद हेतुक" अभिव्यक्ति के अर्थ का प्रश्न प्रिवी काउंसिल के समक्ष उठा। यह टिप्पणी की गई कि वाद हेतुक का अर्थ है हर वह तथ्य जिसे वादी को साबित करना आवश्यक होगा यदि उसे निर्णय के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए पार किया जाए। माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि दोनों दावों का समर्थन करने वाले साक्ष्य समान हैं तो वाद हेतुक समान है, लेकिन यदि दोनों मामलों में प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य भिन्न हैं, तो वाद हेतुक भी भिन्न हैं। उस मामले के तथ्यों पर यह निर्णय लिया गया कि जहाँ संपत्ति 'वाई' को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने नए वाद में वादी को अपना स्वामित्व स्थापित करने का अधिकार देने वाले तथ्य मूलतः वही हैं जो संपत्ति 'एक्स' को पुनः प्राप्त करने के लिए उनके पिछले वाद में आरोपित किए गए थे, दोनों वाद में वाद हेतुक समान हैं।"

20. स्वतंत्र वाद हेतुक के संबंध में, विचारण न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया;

> "अब प्रश्न यह उठता है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य स्वतंत्र वाद हेतुक हैं, पिछली याचिका से स्वतंत्र हैं या मूलतः वही हैं। वाद हेतुक वे तथ्य हैं जिन्हें याचिकाकर्ता को अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए आवश्यक रूप से साबित करना होगा। यदि इन दो पैरा अर्थात् पैरा 18 और 19 को पूरी याचिका से अलग कर दिया जाए तो यह नहीं कहा जा

सकता कि प्रस्तुत तथ्य स्वतंत्र वाद हेतुक बन सकते हैं। संक्षेप में वाद हेतुक वही है और पिछली याचिका में प्रस्तुत तथ्य वर्तमान याचिका के तथ्यों से अभिन्न हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ये स्वतंत्र वाद हेतुक हैं। राहत के संबंध में, यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि वाद हेतुक दावा की गई राहत से अलग है। इसलिए, वाद हेतुक राहत से अपना पोषण नहीं ले सकता है, बल्कि इसे इसके विपरीत होना चाहिए। राहत के आधार का समर्थन करने के लिए, वाद हेतुक के रूप में उल्लिखित तथ्य इसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए।"

विचारण न्यायालय ने आगे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया;

"मेरा मानना है कि बाद के आरोपों वाले इन दो अतिरिक्त पैराग्राफ़ों ने पहले की वाद हेतुक को नष्ट नहीं किया क्योंकि समझौते के बारे में आरोप पिछले अभिवचनों पर आधारित हैं और जब तक यह साबित नहीं हो जाता है तब तक समझौते के आरोपों पर नहीं पहुँचा जा सकता है। दूसरे पैरा में शामिल आरोप भी केवल पिछले अभिवचनों पर निर्भर हैं।"

विचारण न्यायालय ने आगे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया;

"मैंने याचिकाकर्ता द्वारा दायर साक्ष्य के शपथपत्र का भी परिशीलन किया है, पैरा 24 को छोड़कर, शेष तथ्य वही हैं जिनका अभिवचन दिया गया है और यहाँ तक कि समर्थन में दस्तावेज़ भी वही हैं, सिवाय अभि.सा. 1/एन1 से ढ3 और अभि.सा.1/ण के। मेरा मानना है कि तथ्य संक्षेप में पिछली याचिका के समान ही हैं और केवल इन दो नए

> तथ्यों का उल्लेख आगे की कार्रवाई के लिए किया गया है। ये दो अतिरिक्त पैरा किसी भी तरह से पिछले वाद हेतुक को नष्ट नहीं करते हैं।"

21. वर्तमान मामले में, पैरा सं. 1 से 15 वही हैं जो जयपुर में कुटुंब न्यायालय के समक्ष पिछली याचिका में दायर किए गए थे। पैरा सं. 16 और 17 विवाह-विच्छेद याचिका दायर करने और उसे खारिज करने से संबंधित तथ्य हैं। पैरा सं. 18 और 19 पिछली याचिका की तुलना में एकमात्र अतिरिक्त पैरा हैं और अंत में, प्रार्थना खंड दर्शाता है कि वर्तमान याचिका विवाह-विच्छेद की डिक्री और 2 वर्षों से अधिक समय तक निरंतर अधित्यजन के लिए है। इस प्रकार अधित्यजन के आधारों के साथ ये 2 पैरा याचिका में केवल अतिरिक्त तौर पर बताए गए तथ्य हैं।

22. इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि पिछली याचिका को स्वतः खारिज कर दिया गया था और उसी याचिका को बहाल करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि उक्त याचिका से उत्पन्न कुछ कार्यवाही जयपुर उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका दायर करने के समय भी लंबित थी।

23. संक्षेप में, दोनों याचिकाओं का वाद हेतुक एक ही है और पिछली याचिका में बताए गए तथ्य वर्तमान याचिका में उल्लिखित तथ्यों से अभिन्न हैं। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि ये स्वतंत्र वाद हेतुक हैं।

24. बाद के आरोपों वाले अतिरिक्त पैरा ने पहले के वाद हेतुक को नष्ट नहीं किया तथा ये आरोप केवल पिछले अभिवचनों पर निर्भर हैं।

25. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मैं विचारण न्यायालय के निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हूँ और आक्षेपित निर्णय में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है, इसलिए इस अपील में कोई गुणागुण नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

26. जुर्मानों के संबंध में कोई आदेश नहीं।

27. विचारण न्यायालय का अभिलेख तुरंत वापस भेजा जाए।

14 अगस्त, 2008 **न्या. वी.बी. गुप्ता**
बिष्ट

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*